

सं०- 16/बी1.-12/2018 - 15 व (आ.चि.)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

प्राचार्य,
राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना।

पटना, दिनांक - 14.9.2018

विषय :- शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान -101 आयुर्वेद-0002 आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना, विपत्र कोड-20-2210051010002 एवं मांग संख्या - 20 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से विभिन्न इकाईयों से कुल- 9,00,00,000/- (नौ करोड़) रुपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उप शीर्ष अंतर्गत संलग्न विवरणी के अनुसार वर्ष 2018-19 के लिए कुल 9,00,00,000/- (नौ करोड़) रुपये मात्र के आवंटन की स्वीकृति (विवरणी संलग्न)।

2. संबंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं० -2561/वि०(2) दिनांक -17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या - 354/वि० दिनांक 28.03.2018 एवं वित्त विभागीय पत्रांक 3244/वि० दिनांक-04.05.2018 में निहित निदेशों के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. आवंटित राशि की निकासी मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-101 आयुर्वेद-0002 आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना विपत्र कोड-20-2210051010002 एवं मांग संख्या - 20 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट उपबंध से की जाएगी। इस आवंटित राशि से स्नातकोत्तर विभाग, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पटना के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी वेतनादि की निकासी की जायेगी।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना एवं नियंत्री पदाधिकारी, प्राधिकृत पदाधिकारी, आयुष निदेशालय, बिहार, पटना /अपर सचिव, स्वास्थ्य होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. इस आवंटनादेश से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में देय बकाया का विधिवत जाँच कर सर्वप्रथम बकाया वेतनादि भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

7. आवंटित राशि से दवा एवं अन्य सामग्री का क्रय संबंधित कार्य देशी चिकित्सा निदेशालय के पत्रांक 156 (दे०चि०) दिनांक - 12.2.99 एवं 801 (दे०चि०) दिनांक 28.11.2002 एवं समय-समय पर निर्गत आदेशों के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायेगा।

8. अनुरक्षण एवं मरम्मत मद में उपबंधित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् उसमें निहित शर्त के अनुसार ही किया जायेगा।

9. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन उनका सदुपयोग करने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

10. इस आवंटनादेश से वेतन भुगतान के क्रम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात् ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे।


11. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में माह फरवरी 2019 तक के लिए नियमित वेतन भुगतान सुनिश्चित के पश्चात् ही बकाया वेतनादि का भुगतान किया जायेगा।

12. वित्तीय वर्ष 2018-19 का अद्यतन व्यय विवरणी के साथ पूरे वित्तीय वर्ष का व्यय आकलित कर मांग पत्र भेजी जाय, तथा प्रत्येक माह की दसवीं-तारीख तक नियमित रूप से व्यय विवरणी भी भेजी जाय।

13. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

14. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन



सरकार के विशेष सचिव

पटना, दिनांक - 14.9.2018

ज्ञाप सं०-

15 व (आ.चि.)


प्रतिलिपि -महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, स्वा० के निजी सहायक/ प्राधिकृत पदाधिकारी, आयुष निदेशालय/ आयुष निदेशालय के सभी पदाधिकारी

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।


सरकार के विशेष सचिव


0002 आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना वित्तीय वर्ष 2018-19

विवरण

क्रम सं.	प्राथमिक इकाईयां	कोड	उपबंध	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष राशि
1.	2	3	4	5	6	7	8
1	वेतन	01-01	69209000	34604500	34604500	69209000	0
2	जीवन यापन भत्ता	01-03	6921000	3460500	3460500	6921000	0
3	मकान किराया भत्ता	01-04	11074000	5537000	5537000	11074000	0
4	परिवहन भत्ता	01-05	2885000	1442500	1442500	2885000	0
5	चिकित्सा भत्ता	01-06	888000	444000	444000	888000	0
6	अन्य भत्ता	01-07	3000	1500	1500	3000	0
	योग (वेतन एवं भत्ता)		90980000	45490000	45490000	90980000	0
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	06-01	1000000	500000	500000	1000000	0
8	यात्रा व्यय	11-01	300000	150000	150000	300000	0
9	कार्यालय व्यय	13-01	2500000	1250000	1250000	2500000	0
10	दूरभाष	13-03	20000	10000	10000	20000	0
11	विद्युत प्रभार	13-04	2000000	1000000	1000000	2000000	0
12	विधि प्रभार	13-05	50000	25000	25000	50000	0
13	वर्दी पोशाक	13-06	250000	125000	125000	250000	0
14	किराया म0 एवं कर	14-01	500000	250000	250000	500000	0
15	प्रकाशन एवं मुद्रण	16 01	200000	100000	100000	200000	0
16	कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	20 02	500000	250000	250000	500000	0
17	प्रशिक्षण व्यय	20-03	0	0	0	0	0
18	सामग्री एवं पूर्तियां	21-01	500000	250000	250000	500000	0
19	दवा भंडार	21-02	200000	100000	100000	200000	0
20	आहार एवं पथ्य	21-03	0	0	0	0	0
21	अनुसंधान एवं मरम्मत	27-02	5000000	2500000	2500000	5000000	0
22	सविदा सेवार्ये	28 02	1000000	500000	500000	1000000	0
23	छात्रवृत्ति / वजीफा	34-01	2000000	1000000	1000000	2000000	0
24	मशीन एवं उपस्कर	52-01	1000000	500000	500000	1000000	0
	योग		89020000	44510000	44510000	89020000	0
	कुल योग		180000000	90000000	90000000	180000000	0

(नौ करोड़) रुपये मात्र

15 व (आ.चि.)
14.9.2018



सरकार के विशेष सचिव